राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	233/2016 अनोखीदेवी / सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/3/18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी ख.नं. 157 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम पली राजस्व रिकार्ड मे श्री आसाम पुत्र श्योसहाय जाति गौंड निवासी ग्राम पली के नाम दर्ज रिकार्ड है जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है। उक्त खातेदार द्वारा उक्त आराजी का बैनामा दिनांक 21/9/2005 को श्रीमति अनोखी देवी पत्नि रामनिवास जाति मीणा जो कि अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, के हक मे कर दिया गया गया एवं कब्जा सम्भला दिया गया है। उक्त बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है यद्यपि उक्त बेचान का अमल राजस्व रिकार्ड मे नही हुआ है। वाद मे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28/11/2002 डी.बी. सिविल याचिका संख्या 3554/99 बंसत नाहटा बनाम सरकार का हवाला देकर अंकित किया गया कि उक्त निर्णय की पालना में बैनामा पंजीबद्ध किया गया है किन्तु बेचान की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन होने से बेचानशुदा आराजी को सिवायचक दर्ज किया जावे। वाद में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	233/2016 अमोलीदेवी | सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2	

की ओर से जवाब वाद प्रस्तुत हुआ, जिसमें अंकित किया गया कि खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड मे आशम पुत्र श्योसहाय जाति मुसलमान दर्ज रहना चाहिये था किन्तु आशम उर्फ असलम पुत्र सोसूखाँ उर्फ श्योसहाय जाति मुसलमान है जो कि बहरूपिया का सांग करते हुये अपने परिवार का लालन-पालन करता है। जिसको ग्रामीण क्षेत्र मे आमजन सर्वनाम भाण्ड शब्द से सम्बोधित करते है। जिसके तहत ही राजस्व रिकार्ड मे खातेदार आशम उर्फ असलम खाँ पुत्र सोसूखाँ उर्फ श्योसहाय जाति मुसलमान का प्रथमत: इन्द्राज करते समय जाति मुसलमान के स्थान पर जाति भाण्ड ही अंकित कर दिया गया जबकि खातेदार धर्म एवं जाति से मुसलमान है। इस प्रकार रिकॉर्डेड खातेदार अनुसूचित जाति का सदस्य नही है, न ही खातेदार हिन्दु धर्म से सम्बन्धित है। इसी वजह मे खातेदार मिन उत्तरदाता संख्या-1 ने मिन उत्तरदाता संख्या 2 के हक मे वादग्रस्त भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के किया है जो सही है व सत्य है एवं धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन नही है। जवाब वाद के अतिरिक्त कथन व प्रतिवाद मे अंकित किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि ख.न 157 रकबा 5 बीघा उत्तरदाता संख्या-1 आशम उर्फ असलम के पिता सोसूखाँ उर्फ श्योसहाय पुत्र श्योला के नाम दिनांक 23/6/96 को आलाटमेन्ट होने पर जरिये नामान्तकरण

संख्या 365 गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे तथा श्योसहाय पुत्र श्योला के फौत होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 684 के जरिये मृतक की बेवा रज्जो एवं पुत्र आशम के नाम खातेदारी का अमल दरामद किया गया था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार उत्तरदाता के पिता व माता मुसलमान धर्म मे जाति से मुसलमान ही है। प्रतिवाद मे आगे अंकित किया गया कि वादग्रस्त भूमि रिकार्ड मे उत्तरदाता संख्या-1 की जाति गाडा गलत अंकित है जबकी राजस्व रिकार्ड में उत्तरदाता संख्या-1 व उसके पूर्वजो की जाति मुसलमान अंकित किया जाना चाहिये। इस संदर्भ में उनके द्वारा परिवार राशन कार्ड का संदर्भ दिया गया। साथ ही विधानसभा चुनाव क्षेत्र की निर्वाचन नामावली 2008 की भाग संख्या 109 ग्राम आंधी के क्रम संख्या 955, 956 957 का संदर्भ देते हुये अंकित किया गया कि रजिया [illegible] पत्नि सोमू खाँ, असलम पुत्र सोमू खाँ, बरकत पत्नि असलम अंकित है। इसी प्रकार पंचायत मतदाता सूची 2004 के क्रमांक संख्या 281, 282, 283 पर उत्तरदाता संख्या-1 व उसके परिवारजनो का नाम अंकित है। इसके अतिरिक्त कार्यालय ग्राम पंचायत आंधी द्वारा दिनांक 13/3/2008 को जारी प्रमाण पत्र का भी संदर्भ दिया गया, जिसमे उत्तरदाता संख्या-1 के धर्म से मुसलमान होने की पुष्टि की गई है एवं मुसलमान मदरसा

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
233/2016	मनोरी देवी / सरकार 4	

गरीब नवाज दारूल इल्म के अन्तर्गत इमाम जो कि नवाज पढ़ाता है ने भी प्रमाण पत्र जारी कर उत्तरदाता संख्या-1 को मुसलमान धर्म से सम्बन्धित होना अंकित किया है। प्रतिवाद के अन्त इस्तदुआ कि गई कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे उत्तरदाता संख्या-1 की जाति भाण्ड को दुरूस्त करते हुये जाति मुसलमान/धर्म मुसलमान दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है जिसके उत्तरदाता अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ की बहस सुनने के पश्चात यह अंकित करते हुये कि उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2055 मे कॉलम संख्या 4 में काश्तकार का नाम आशम पुत्र रमेसहाय नाबालिग संरक्षक माता रज्जो बेवा रमेसहाय जाति भाण्ड अंकित है एवं नामान्तकरण संख्या 794 एवं 648 मे जाति भाण्ड अंकित है तथा विक्रय पत्र मे जाति भाण्ड अंकित है जो अनुसूचित जाति का सदस्य प्रतीत स्पष्ट है जिससे अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा वादांकित भूमि ख०नं० 157 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम पली तहसील जमवारामगढ़ को खातेदार आशम पुत्र रमेसहाय जाति भाण्ड का नाम हटा किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक भूमि करने के आदेश दिये गये। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी सं० 2 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	233/2016 अनोखीदेवी / सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत की गई। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समाप्त की गई।

अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत आंधी द्वारा निष्पादित प्रमाण पत्र दिनांक 13/3/2008, विधानसभा चुनाव आयोग राजस्थान की निर्वाचन नामावली 2008 के क्रम संख्या 955, 956, 957 एवं पंचायत मतदाता सूची 2004 की क्रम संख्या 281, 282, 283 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करा कर बहस मे निवेदन किया कि यद्यपि राजस्व रिकार्ड में मूल खातेदार का नाम आजम पुत्र रमोसहाय अंकित किया हुआ है किन्तु उक्त संदर्भित समस्त दस्तावेजात से यह स्पष्ट था कि मूल खातेदार एवं प्रतिवादी संख्या-1/रेस्पोडेन्ट-2 संख्या-2 वास्तविक मे मुसलमान है, जिससे उनके द्वारा किया गया बेचान धारा 42 राज०का०अधिनियम के कतई विपरित नही है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस मे यह भी निवेदन किया कि मूल खातेदार एवं उसके पुत्र रेस्पोडेन्ट-2 संख्या-2 गांव के परिवेश के व्यक्ति है एवं अनपढ है, जिससे वे इस बात का कतई इल्म नही रखते थे कि राजस्व रिकार्ड मे उनके आवंटीत आराजी के सम्बन्ध मे क्या इन्द्राजात किये गये है एवं उनका क्या तात्पर्य निकाला जायेगा। अभिभाषक अपीलार्थी ने

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	233/2016 अनोरवीडेवी / सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 6	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बहस मे यह भी निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड मे संदर्भित आराजी के आवंटन के समय नाम के अंकन मे जो त्रुटी रही वह भविष्य मे भी दोहराई जाती रही, जो सामान्य प्रक्रिया के तहत हुआ है जबकि प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात से सुस्थापित था कि प्रतिवादी संख्या-2 जाति से मुसलमान है एवं एक मुसलमान व्यक्ति के द्वारा उसके खाते की आराजीयात का बेचान धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन नही हो सकता। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे। पैरोकार सरकार द्वारा बहस में हमारा ध्यान पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड की ओर आकर्षित करा कर निवेदन किया गया कि राजस्व न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण के निस्तारण का आधार उससे सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड होता है एवं विचाराधीन प्रकरण मे विक्रेता की जाति भाण्ड राजस्व रिकार्ड मे अंकित है जो कि अनुसूचित जाति मे आते है एवं उनके द्वारा एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के हक मे प्रश्नगत आराजी का बेचान किया गया है जो कि स्पष्ट रूप से धारा-42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अनोखीदेवी / सरकार 233/2016 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

7

उल्लंघन होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है। अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह तथ्य सही है कि प्रश्नगत आराजी के संदर्भ मे राजस्व रिकार्ड में खातेदार की जाति भाट अंकित है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा अन्य विभिन्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये थे, जिससे प्रतिवादी संख्या- 2 का मुसलमान होना प्रथमदृष्टया सिद्ध होता था। इसके अलावा प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के बतौर पाँच व्यक्तियो के साक्ष्य के बतौर शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिनका भी न्यायालय द्वारा परिक्षण नही किया गया, न ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूल आवेदन पत्र का कोई संदर्भ दिया गया है। राजस्व न्यायालयो में जो रिकार्ड दुरुस्ती के वाद आते है वे इसी प्रकार से होते है जिनमे आराजीयात के सम्बन्ध मे वास्तविक व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया जाता है एवं वाद के परिक्षण के पश्चात उनमे दुरुस्तीयाँ की जाती है। अत: विचाराधीन प्रकरण मे भी अधिनस्थ न्यायालय के लिये यह सुनिश्चित

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

अनोखी देवी / सरकार

तारीख हुक्म	233/2016 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 8	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाना आवश्यक था कि आया प्रश्नगत आराजी के संदर्भ मे प्रतिवादी संख्या-2 का नाम व जाति गलत तो अंकित नही हो गया है। अतः उपरोक्त संदर्भित दस्तावेजात के परिपेक्ष मे हम यह उचीत समझते है कि प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय समस्त साक्ष्य, सबूत के आधार पर राजस्व रिकार्ड के अंकन की पुष्टी कर बाद मे पुनः निर्णय पारित करे। फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22/10/2010 निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी उपरोक्त अनुसार आंशिक स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05/3/2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (हस्ताक्षर)	